राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
39वीं बैठक - दिनांक : 16 नवम्बर, 2011 का कार्यवृत्त

उत्तराखंड राज्य में स्थित समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय त्रैमास सितम्बर, 2011 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 39वीं बैठक पैसिफिक होटल, देहरादून में दिनांक 16 नवम्बर, 2011 को आयोजित की गई।

इस बैठक में श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (अवस्थापना), श्री आलोक पांडे, निदेशक (डी.एफ.एस.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, श्री वी.एस.बाजवा , महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री बी. श्रीराम, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल, श्री सुनील श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल, श्री पी. के. मिश्रा, महाप्रबंधक, नाबाड एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

श्री बी. श्रीराम, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली

श्री बी. श्रीराम, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अपना संबोधन प्रारम्भ करते हुए बैठक में श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (अवस्थापना), उत्तराखंड शासन, श्री आलोक पांडे, निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव (उद्योग), उत्तराखंड शासन, अन्य मंचासीन अतिथियों और बैंक एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों का अभिनन्दन और स्वागत किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 39वीं बैठक में सभी बैंकों के वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय त्रैमास सितम्बर, 2011 तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य का **वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य ₹ 6789 करोड़** के सापेक्ष सितम्बर, 2011 तक **₹ 3272 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गई है, जोकि वार्षिक लक्ष्य का 48 % है जिसके अंतर्गत सभी बैंकों ने कृषि क्षेत्र में 50%, उद्योग क्षेत्र में 55 % तथा सेवा क्षेत्र में 42 % उपलब्धि दर्ज की है। राज्य के जिन बैंकों की वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 30 % से कम रही है उन्हें इसे बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि बैंकों का **ऋण-जमा अनुपात** पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, जोकि मार्च, 2011 में 52.67 % से बढ़कर सितम्बर, 2011 में 53.68 % हो गया है। उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित बैंक शाखाओं द्वारा प्रदेश में ₹ 4897.69 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं और यदि इसे हटाकर दिखा जाए तो राज्य का ऋण-जमा अनुपात मात्र 40.52 % ही रह जाएगा। इसलिए राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाना होगा। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे पहाड़ी क्षेत्र की शाखाओं में ऋण का प्रतिशत बढ़ाने हेतु क्षेत्र की संभाव्यता को देखते हुए समुचित रणनीति बनाकर क्षेत्रवासियों को ऋण प्रदान करने होंगे। राज्य में जिन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 30 % से कम है, उन बैंकों को इस दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है - जिसमें सेन्ट्रल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, इण्डियन बैंक, बैंक आफ इण्डिया एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक प्रमुख हैं।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड राज्य में **2000 से अधिक जनसंख्या वाले 216 गाँवों** में से **121 गाँवों** को संबंधित बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलकर / बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट के माध्यम से जनसाधारण को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना आरम्भ कर दिया है। इसी प्रकार प्रदेश की महत्वाकांक्षी **अटल आदर्श ग्राम योजना** के अंतर्गत **259 गाँव** में से **108 गाँवों** में बैंकिंग सुविधा पहुँचा दी गई है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के 46 गाँव सम्मिलित हैं। शेष बैंकिंग सुविधारहित ग्रामों में संबंधित बैंक अपनी शाखाएं खोलकर अथवा बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट के माध्यम से मार्च, 2012 तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाने हेतु कार्रवाई करें।

राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी एवं उद्यान को बढ़ावा देने हेतु **'' मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना ''** के अंतर्गत **100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले '' पॉली हाऊस ''** में चुनिन्दा फूलों एवं बेमौसमी सब्जियों की हाई-टेक विधि से संरक्षित खेती करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा 6000 पॉलीहाऊस निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) विभिन्न बैंकों को प्रेषित करना प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने सभी संबंधित बैंकों से अनुरोध किया कि इन आवेदनों पर शीघ्र ऋण वितरित कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि राज्य में बैंकों द्वारा सितम्बर, 2011 तक कुल रु. ₹ 14,841 करोड़ के प्राथमिक क्षेत्र ऋण (Priority Sector Advance) प्रदान किए गए हैं जिसके अंतर्गत ₹ 5422 करोड़ के कृषि ऋण व रु. ₹ 7629 करोड़ के एम.एस.एम.ई. ऋण सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं / कार्यक्रमों के अंतर्गत सितम्बर, 2011 तक समस्त बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अब तक राज्य में कुल 6,57,485 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। भारत

सरकार के निर्देशानुसार राज्य के कृषि एवं ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से बैंकों की शाखाओं द्वारा विशेष अभियान चलाकर समस्त पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने होंगे।

उन्होंने राज्य सरकार से पुनः आग्रह किया कि जिन 3 जिलों (उत्तरकाशी, चम्पावत एवं नैनीताल) में आरसेटी स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध / हस्तांतरित नहीं की गई है, वहाँ शीघ्र कार्रवाई करें। राज्य के 13 में से 11 जिलों में आरसेटी के माध्यम से सितम्बर, 2011 तक 90 प्रशिक्षण कार्यमक्रम संचालित कर 1,755 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि सभी बैंकों द्वारा जारी किए गए 23,640 वसूली प्रमाण पत्र पर वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि बैंकों का एन.पी.ए. कम किया जा सके। अंत में सभी बैंकों और विभागों को वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु आग्रह किया और आशा व्यक्त की कि सभी बैंक / विभाग मिलकर राज्य के आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहयोग करेंगे तथा सभी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (अवस्थापना), उत्तराखंड शासन का संबोधन

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (अवस्थापना) महोदय ने अपना संबोधन आरम्भ करते हुए कहा कि राज्य के पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात औसतन 20 से 30 प्रतिशत के बीच ही रहता है, जोकि बहुत कम है। इसमें सुधार लाने हेतु शासन एवं बैंकों को तहसील एवं ब्लाक स्तर पर क्षेत्र की संभाव्यताओं के अनुरुप योजना बनाकर लागू करनी होगी क्योंकि प्रत्येक ब्लाक / क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं जैसे कि उद्योग विशेष क्षेत्र, पर्यटन आकर्षण केंद्र, विशेष स्थानीय उत्पाद आदि पर ध्यान केंद्रित करने पर ही ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि दर्ज हो सकेगी। जिला स्तर पर नाबार्ड के डी.डी.एम. विभिन्न ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संभाव्यता युक्त योजना (Potential Linked Plan) बनाएं। राज्य की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी इन्फ्रास्ट्रकचर इनपुट्स एवं उनके उत्पादों पर **वैट (Value Added Tax)**की छूट है। अतः क्षेत्र के ग्रामीणों में व्यवसायिकता एवं उद्यमता का विकास करना होगा, ताकि वे स्थानीय संसाधनों पर आधारित गतिविधियों को अपना कर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर सकें।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग राज्य के शेष अऋणी कृषकों की सूची जिला स्तर पर बैंकों को प्रेषित करें ताकि वे इस वर्ष सभी कार्यशील कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर सकें। अध्यक्ष महोदय

ने भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक जनसंख्या वाले एवं अटल आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधारहित ग्रामों तकनीकी संभाव्यताओं के आधार पर इन्टरनेट कनेकटिविटी मार्च, 2012 तक उपलब्ध करा दें ताकि बैंकों द्वारा कम्प्यूट्रीकृत बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने निदेशक, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किया कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या को आधार न मानते हुए अलग से विशेष नीति तैयार करनी होगी ताकि दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुँच सके।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी विभागों एवं बैंकों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण एवं विकास योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समग्र प्रयास करें।

डा. आलोक पांडे, निदेशक, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का संबोधन :

डा. पांडे ने उत्तराखंड सरकार को बताया कि वर्तमान में विकास योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान राशि का भुगतान चैक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार किए जाने वाले भुगतान में अधिक समय लगता है और मंहगा भी पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार को अनुदान राशि को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सीधे बैंक खातों में ऑन-लाइन जमा करने की प्रक्रिया अपनानी होगी।

उन्होंने बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धीमी गति से कार्रवाई की जा रही है जिसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है और सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि जिला सर्विस एरिया प्लान को संबधित जिले के **एन.आई.सी. वेबसाइट** पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

उन्होंने आगे कहा कि सभी बैंक वित्तीय समावेशन को सफल बनाने हेतु अपने शाखा विस्तार योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव में कम से कम एक बैंक शाखा खोलने की व्यवस्था करें और बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट के प्रति ग्राहकों को विश्वास एवं भरोसा दिलाएं। बैंकों द्वारा नियुक्त बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट / बिजनेस फेसिलिटेटर को कृषकों से किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन एकत्रित कर नजदीकी शाखा को प्रेषित करने हेतु निर्देश जारी करें।

श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव (उद्योग), उत्तराखंड शासन का संबोधन :

प्रमुख सचिव (उद्योग) ने राज्य के पहाड़ी जिलों में उद्योग स्थापित न हो पाने पर चिंता व्यक्त करते कहा कि इसका मुख्य कारण वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं का अभाव, भूमि की उपलब्धता, क्षेत्रवासियों में जागरुकता एवं उद्यमिता की कमी है। इसलिए राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कार्यशील औद्योगिक इकाइयों के विस्तार हेतु संसाधनों की खरीद पर 20 % की छूट अनुमन्य है। राज्य सरकार ने क्षेत्रवासियों में जागरुकता एवं उद्यमितता का विकास करने हेतु प्रदेश में 11 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए हैं, जिसे जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित किया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश, सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन का संबोधन :

सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि उत्तराखंड कृषि नीति के अंतर्गत ग्रामीणों को स्वैच्छिक चकबंदी अपनाने पर तीन वर्षों तक के लिए स्टाँम्प शुल्क देय नहीं होगा। इस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा चार **फार्मर्स कन्ज्युमर मार्केट** (3 देहरादून जिले में, 1 बागेश्वर जिले में) स्थापित किया गया है। पहाड़ों पर संगठित विपणन (Organized Marketing) स्थापित करने हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना होगा। राज्य में जनवरी, 2012 से नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन (N.R.L.M.) लागू हो जाएगा जिसके अंतर्गत जिले की संभाव्यता युक्त योजना (Potential Linked Plan) के अंतर (Gap) को राज्य सरकार अपने स्तर पर रु. 50 करोड़ तक की नई विकास योजनाएं बनाकर कम सकती है।

श्री विक्रम एस. बाजवा, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून

श्री बाजवा ने सभी जिला स्तर के अधिकारियों, अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं नाबार्ड के डी.डी.एम. को प्रभावी तरीके से ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने से संबंधित उप-समिति की बैठक जिला स्तर पर करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जिले का ऋण-जमा अनुपात, बाजार निर्धारित करता है जिस पर सक्रिया रुप से वांछित सुधार लाने हेतु रणनीति बनानी होगी। इसके लिए ग्राम पंचायत / ब्लाक स्तर पर '' स्ट्रेटजिग एक्शन प्लान '' बनाना होगा।

श्री सुनील श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली का धन्यवाद संबोधन :

श्री सुनील श्रीवास्तव ने सभी बैंकों से उच्चाधिकारी तथा उत्तराखंड सरकार के पदाधिकारियों का इस शीर्ष बैठक में पधारने पर धन्यवाद करते हुए सरकार को विश्वास दिलया कि सभी बैंक मिलकर प्रदेश के चहुँमुखी विकास में सार्थक योगदान देने हेतु कृत संकल्पित हैं।

उन्होंने ने कहा कि वार्षिक ऋण योजना के निर्धारित लक्ष्य ₹ 6789 करोड़ के सापेक्ष सभी बैंक वर्ष के तृतीय त्रैमास दिसम्बर, 2011 की समाप्ति तक कम से कम 80 % की उपलब्धि दर्ज कर लेंगे एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ''अटल आदर्श ग्राम योजना '' के अंतर्गत 259 बैंकिंग सेवारहित गाँवों में से 108 गाँवों तथा 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 216 बैंकिंग सेवारहित में से 121 ग्रामों में संबंधित बैंक की नई शाखाएं / वैकल्पिक माध्यमों द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आरम्भ कर दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि पहाड़ी राज्य के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके लिए सभी बैंक महिलाओं / अल्पसंख्यकों / युवा वर्ग को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सुगमता से ऋण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए डी.आई.आर. ऋणों का प्रतिशत भी पिछली तिमाही के सापेक्ष बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संबंधित विभाग एवं सभी बैंक 31 दिसम्बर, 2011 तक के प्रगति के सही आँकड़े ससमय एस.एल.बी.सी. को अनिवार्य रुप से प्रेषित कर दें ताकि आगामी बैठक में सार्थक चर्चा की जा सके।

अंत में सभी के सार्थक सहयोग एवं सहभागिता हेतु आभार व्यक्त किया और विशेषकर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया और साथ ही बैठक में पधारे मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट किया।

****